झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2010

[सभा द्वारा यथा पारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2010

[सभा द्वारा यथा पारित]

विषय सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।
2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2007 की धारा 5(1)(ख) में संशोधन ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2010

[सभा द्वारा यथा पारित]

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में बाजार ऋण की उगाही सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) 4 प्रतिशत तक स्वीकृति के आलोक में झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2007 में संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

(i) यह विधेयक झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2010 कहा जायेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2007 की धारा 5(1)(ख) में संशोधन:-

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

दिनांक 31 मार्च, 2011 की समाप्ति पर राजकोषीय घाटे को घटाकर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% (तीन प्रतिशत) तक सीमित करना ।

यह विधेयक झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2010 दिनांक 27 मार्च, 2010 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 27 मार्च, 2010 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु० राँची (वित्त) 77-50 ।